"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 17 जनवरी 2012—पौष 27, शक 1933

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-1/2012/1-3.—भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची के पैरा-5 के उप-पैरा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निर्देशित करते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा बनाये गये छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 5 में उल्लिखित "नियुक्ति के लिए पात्रता" संबंधी प्रावधान, इसमें इसके पश्चात्, यथाविनिर्दिष्ट सीमा तक उपान्तरित तथा लागू समझे जायेंगे, अर्थात् :—

"इन नियमों में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम, आदेश, निर्देश, नियम अथवा विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बस्तर तथा सरगुजा संभाग के अन्तर्गत आने वाले जिलों के मात्र स्थानीय निवासी ही, इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिये, संबंधित जिलों के विभिन्न विभागों में जिला संवर्ग के तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भूत रिक्तियों पर भर्ती हेतु पात्र होंगे."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

निधि छिब्बर, सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2012

क्रमांक एफ 1-1/2012/1-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2012/1-3 दिनांक 17 जनवरी, 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, विशेष सचिव.

Raipur, the 17th January 2012

NOTIFICATION

No. F 1-1/2012/1-3.—In exercise of the powers conferred by the provisions by Sub-Para 5 of the Fifth Schedule to the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, directs that the provisions regarding "eligibility for appointment" mentioned in rule 5 of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rule, 1961 made by the State Government under Article 309 of the Constitution of India, shall be deemed to be modified and enforced up to the extent as specified, hereinafter, namely :—

"Notwithstanding anything contained in these rules or any other Act, Order, Direction, Rules or Law for the time being in force, only local residents of the districts falling under Bastar and Sarguja Division, shall be eligible for recruitment to the vacancies arising in Class-III and Class-IV posts of the district cadre in various departments of the concerned districts, for a period two years from the date of issue of this Notification."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
NIDHI CHHIBBER, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.